कुलदीप सिंह

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

सितम्बर, 14, 2007

(डा. अरिजीत प्रसायर एवं डी.के.जैन, जे.जे.)

अभ्यास और प्रक्रियाः-

उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ जिसमें वह माननीय न्यायाधीश शामील थे, जिन्होंने उच्च न्यायालय की एकल पीठ मे नोटिस जारी किये- यह दलील कि खण्ड पीठ जिसमे वही माननीय न्यायाधीश शामील है, उस पीठ को मामले को नहीं लेना चाहिये था- अभिनिर्धारित किया हैः माननीय एकल न्यायाधीश ने पूर्व मे नोटिस जारी किया था, यह तथ्य उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के संज्ञान मे नहीं लाया गया- इसके अतिरिक्त यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम नहीं है- कि जब भी किसी माननीय एकल न्यायाधीश ने किसी मामले को नियमित कार्यवाही हेतु भी सम्बोधित किया हो तब उस न्यायाधीश द्वारा अपील नहीं सुनी जायेगी- अतः एकल न्यायाधीश द्वारा गुणावगुण पर व्यक्त विचार मे हस्तक्षेप करने के लिये कोई मामला नही बनाता है- जब खण्ड पीठ द्वारा भी उसकी पुष्टि की गई हो।

अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका दायर कर भूखण्ड मे अपीलार्थी के हिस्से को लीज होल्ड से फ्री होल्ड मे बदलने की मंजूरी देने के निर्देश जारी करने हेतु अनुतोष चाहा गया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का यह मत था, कि उक्त अनुतोष इसलिये नहीं प्रदान किया जा सकता क्योंकि यह अनुतोष प्रदान करना लेआउट प्लान मे संशोधन करने जैसा होगा और जिससे प्लानींग नोन व विकास नियंत्रण पर प्रभाव पडे- उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने भी इसकी पुष्टि की।

इस अदालत की अपील मे अपलार्थी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है व किसी भी स्थिति मे जहॉ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ जिसमे मुख्य न्यायमूर्ति व न्यायमूर्ति एस. के.कोल शामील थे व खण्ड पीठ इस मामले को नहीं ले सकती थी, क्योंकि पूर्व मे न्यायमूर्ति कोल ने मामले को सम्बोधित किया था।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष किसी भी समय पर यह बिन्दु नहीं उठाया कि पूर्व मे न्यायमूर्ति कोल इस मामले मे सुनवाई कर चुके है, अतः अपीलार्थी अब यह उज्र उठाने का अधिकार नहीं रखता एवं साथ ही न्यायमूर्ति कोल द्वारा अन्तिम आदेश पारित नहीं किया था, अतः आदेश मे हस्तक्षेप के आधार नहीं है, क्योंकि अपील मे कोई योग्यता नहीं है।

अपील खारिज करते हुये न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गयाः

न्यायमूर्ति कोल ने नोटिस जारी किया था एवं अपीलार्थी को अन्तरिम सुरक्षा प्रदान की थी। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष यह नहीं दर्शाया गया है कि न्यायमूर्ति कोल ने पूर्व मे स्वीकृति का आदेश पारित कर दिया था। यह एक सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप मे निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी किसी एकल न्यायाधीश द्वारा नियमित उद्वेश्य के लिये जैसे प्रक्रिया जारी करना, या दोष को सुधारना, या फिर स्थगन पारित किया जाता है, तो वह न्यायाधीश उस मामले की अपील नहीं सुन सकता। अपीलार्थी द्वारा हस्तक्षेप का मामला नहीं दर्शाया है, हालॉकि यह तथ्यात्मक रूप से सही है कि एकल न्यायाधीश द्वारा नियम जारी किया गया था। लेकिन यह तथ्यात्मक पहलू खण्ड पीठ के संज्ञान मे नहीं लाया गया था, परन्तु एक न्यायाधीश द्वारा गुणवागुण पर व्यक्त अंतिम राय, जिसकी खण्ड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, वह हस्तक्षेप करने हेतु किसी भी दूर्बलता से ग्रसीत नहीं है। (पेरा-10 एवं 11)(1982.ई,एफ,जी)

एस.के.वारीकू बनाम जम्बू एवं कश्मीर और अन्य, 1998 9 एस.सी.सी.677 सन्दर्भित

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकार सिविल अपील नम्बर 4266/2007

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 16.05.2005 के निर्णय और आदेश एल.पी.ए. संख्या 79/2005 से

दिनेश कुमार गर्ग अपीलार्थी की ओर से।

कमलजीत सिंह ए.एस.जी., अश्वीनी कुमार, आर.एस.राणा एवं वी.के.वर्मा प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायमूर्ति डा. अभिजीत प्रसायर के द्वारा इस न्यायालय का निर्णय पारित किया गया।

1. छूट दी गई।

2. इस अपील मे खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश जिससे लेटर्स, पेटेंट अपील को खारिज किया गया, को अपीलार्थी द्वारा चुनोती दी गई है। खण्ड पीठ द्वारा एकल न्यायाधीश के रिट पीटीसन (सिविल)नम्बर 799/2002 के आदेश दिनांकित 03.12.2004 के विरूद्व दायर की गई, लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज किया गया। बुनियादी मुद्दा यह था कि क्या भूमि का उप विभाजन अनुज्ञय था। रिट याचिका मे प्रार्थना की गई कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (संक्षेप डी.डी.ए) को भूखण्ड मे अपीलार्थी के हिस्से को लीज होल्ड से फ्री होल्ड मे परिवर्तित करने की मंजूरी हेतु निर्देश दिये जावे। अपीलार्थी का यह मत रहा कि वह सहभागीदार है। चूॅंकि पट्टेदार को परिसर का एक हिस्सा आवंटित करने की अनुमती है, इसलिये उसकी प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है। अनुबंध दिनांक 22.08.1919 के खण्ड 11 को आधार बनाते हुये, यह तर्क दिया गया कि पट्टेदार को डिमाईज्ड परिसर के भी किसी हिस्से को आवंटित करने की अनुमती है।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मत था कि यदि प्रार्थना को स्वीकृति प्रदान की जाती है, यह ले आउट योजना मे संशोधन करने के निर्देश के बारबर होगा। इसके साथ ही विकास नियंत्रण व योजना मानदण्डो पर भी प्रभाव पडेगा। दिल्ली विकास अथोरिटी अधिनियम, 1957 (संक्षेप मे अधिनियम) के सन्दर्भ मे यह देखा गया कि उक्त अधिनियम मे मास्टर प्लान, क्षैत्रिय विकास योजना व सबसे निचले स्तर पर योजना तैयार करने की परिकल्पना की गई है। मास्टर प्लान के तहत विकास संहिता से यह पता चलता है कि तैयार की गई योजना मे अलग अलग भूखण्ड निर्धारित किये जाते है। भवन नियंत्रण मानदण्ड हर व्यक्तिगत भूखण्ड के सम्बन्ध मे लागू होते है। उपविभाजन तब तक नहीं हो सकता, जब तक लेआउट मे संशोधन नहीं किया जाता है।

4. खण्ड पीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश आक्षेपित किया गया। खण्ड पीठ द्वारा नोट किया गया कि शर्त नम्बर-11 जो कि निम्नानुसार हैः-

" पट्टेधारी परिसर के प्रत्येक अंतरण, उप पट्टा या हस्तांतरण , जिसका पट्टा नवीनिकृत किया गया है, के एक महीने के पश्चात् पट्टेदाता या फिर ऐसा अधिकारी जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो, को उक्त अंतरण उप पट्टे या हस्तांतरण का नोटिस प्रेषित करेगा , जिसमें पक्षकारों के नाम व विवरण , उक्त कार्य की विशिष्टियां व प्रभाव अंकित होंगें एवं

ऐसे सभी अंतरीति, उप पट्टेदार , टाªंसफरी व उनके उत्तराधिकारी सभी शर्तों व अनुबंधो से बाध्य होंगे व सभी संदर्भो में जवाबदेह होंगें ”

5. डी.डी.ए. भूमि का स्थायी पट्टेदार है, जब तक की यह पट्टेदार द्वारा विपरित प्रदत नहीं किया जाता, अतः भूखण्ड के विभाजन का कोई प्रश्न उत्तपन नहीं होता है। खण्डपीठ द्वारा यह देखा गया कि उसमे कोई सन्देह नहीं है, कि निर्माण एक साथ कई व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है एवं वे सभी लोग संयुक्तरूप से या व्यक्तिगत रूप से कुछ अनुपात मे मालिक हो सकते है। इसका मतलब यह नहीं है कि भूमि को उपविभाजित कर दिया हो, जब लेआउट योजना मे संशोधन ही नहीं किया गया है। खण्ड पीठ द्वारा यह उल्लेखित किया गया कि अनुमति देना डी.डी.ए. का काम है एवं अभिलेख से पता चलता है कि डी.डी.ए भूखण्ड को फ्रीहोल्ड से पूर्णरूप से न कि आंशीक रूप से बदलने पर विचार करने के लिये तैयार थे। अपीलार्थी पुरी राशि का भुगतान करने के लिये तैयार नहीं था। अतः इसीलिये उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अतः खण्ड पीठ द्वारा अपील मे कोई गुणवता नहीं पाई गई।

6 अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है। किसी भी स्थिति मे खण्ड पीठ जिसमे मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति एक.के.कोल शामील थे, को इस मामले मे

सुनवाई नहीं करनी चाहिये थी। क्योंकि इससे पूर्व न्यायमूर्ति कोल द्वारा मामले पर विचार किया गया।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने किसी भी समय पर खण्ड पीठ के समक्ष यह बिन्दु नहीं उठाया था, कि न्यायमूर्ति कोल ने पूर्व मे मामले की सुनवाई की थी। अतः अपीलार्थी इस स्तर पर यह उज्र नहीं उठा सकता। यह भी तर्क दिया कि न्यायमूर्ति कोल द्वारा कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिये आदेश मे किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब अपील मे कोई गुणवता नहीं है।

8 हालॉकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि न्यायमूर्ति कोल द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश के रूप मे पूर्व मे आदेश पारित किया गया था, यह तथ्य उनके द्वारा खण्ड पीठ के संज्ञान मे लाया गया था, परन्तु यह दलील ली गई थी, इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है व आग्रह किया गया कि एस.के.वारीकू बनाम जम्मू एवं कश्मीर और अन्य, 1998 9 एस.सी.सी.677 मे इसी न्यायालय के निर्णय को इस तर्क के लिये पेश किया गया था कि खण्ड पीठ जिसके न्यायमूर्ति कोल सदस्य थे, द्वारा अपील नहीं सुनी जानी चाहिये, हमने यह देखने के लिये कि इस तरह के किसी पक्ष का कोई उल्लेख आदेश मे किया गया हो, उच्च न्यायालय के अभिलेख मंगवाये।

9. एस.के.वारीकू न्यायिक दृष्टांत (उपरोक्त), मे यह देखा गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश जिन्होंने पूर्व मे मामले की सुनवाई की थी, ने खण्ड पीठ के सदस्य के रूप मे इस मामले का फैसला नहीं करना चाहिये था।

10. हम पाते है कि न्यायमूर्ति कोल ने नोटिस जारी किया था, और वास्तव मे अपीलार्थी को अन्तरिम सुरक्षा प्रदान की थी। यह नहीं दर्शाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायमूर्ति कोल के स्वीकृति के आदेश प्रदान करने का तथ्य खण्ड पीठ के संज्ञान मे लाया गया था।

11. इसे सार्वभोमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप मे स्थापित नहीं किया जा सकता कि जब भी कोई विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नियमित उद्वेश्यो हेतु किसी मामले मे जैसे प्रोसेज जारी करना, या दोष सुधारना या स्थगन आदेश भी पारित किया जाता हो, उस मामले की अपील वह विद्वान एकल न्यायाधीश नहीं सुन सकता। जैसा कि प्रत्यर्थीयों द्वारा तर्क दिया गया है, अपीलार्थी द्वारा हस्तक्षेप करने हेतु कोई मामला दर्शीत नहीं किया गया। हालॉकि तथ्यात्मक रूप से, जैसा कि तर्क दिया गया है, यह सही है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नियम जारी किया गया था, लेकिन ऐसा कोई तथ्यात्मक पहलू खण्ड पीठ के संज्ञान मे नहीं लाया गया। परन्तु खण्ड पीठ द्वारा पुष्ट की गई विद्वान एकल न्यायाधीश की अंतिम राय हस्तक्षेप करने हेतु किसी भी दुर्बलता से ग्रसीत नहीं है।

12. अपील खारिज की जाती है। लागत के सम्बन्ध मे कोई आदेश पारित नहीं होगा।

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मयंक प्रताप सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।